प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना/चौकी क्षेत्रांतर्गत चलाया गया बैंक व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा बैंकों के आसपास से टप्पेबाजी जैसी घटनाओं पर पूर्णरुप से अंकुश लगाये जाने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी कर उन पर कार्यवाही किए जाने के क्रम में आज दिनांक 14.11.2022 को जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने सर्किल/थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले बैंकों तथा प्रमुख चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, अभियान के क्रम में बैंकों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों, बॉर्डर से लगे बैरियर तथा वाहनों की चेकिंग की गयी। बैंक के आसपास बिना किसी कारण घूमने वालों को कार्यवाही की चेतावनी भी दी गयी, बैंक के भीतर ग्राहकों को क्रमवार खड़ाकर अपनी बारी का इंतजार कर व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया।

किसी भी प्रकार की लूट, छिनैती या टप्पेबाजी जैसी घटना को रोकने के लिए प्रमुख मार्गों, चौराहों तथा सूनसान स्थानों पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों तथा काली फिल्म वाली गाड़ियों व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की विशेष रूप से चेकिंग की गयी, साथ ही दो पहिया वाहन पर तीन सवारी, बिना हेलमेट घूमने वाले लोगों की सघन चेकिंग कर चालान किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 14.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 14.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों,कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन-1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नेहरु इण्टर कॉलेज पनवाड़ी में बच्चों के साथ मनाया गया बाल दिवस, लगन से पढ़ाई करने तथा अच्छे कार्यों के लिए किया गया प्रोत्साहित..

आज दिनांक 14.11.2022 को बाल दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा नेहरु इण्टर कॉलेज पनवाड़ी में विशिष्ट अतिथि के रुप में पहुंचकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा बच्चों को संबोधित करते हुये बताया गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं महान नेता पं. जवाहर लाल नेहरू का बच्चों के प्रति विशेष स्नेह था, जिसके फलस्वरूप उनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इसी क्रम में वहां मौजूद लोगों से अपील करते हुये कहा कि हमारा प्रयास होना चहिये कि हर बच्चे की नींव मजबूत हो और वह पढ़-लिखकर देश का जिम्मेदार नागरिक बने तथा अपनें बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

महोदय द्वारा बच्चों को लगन के साथ पढ़ाई करने व अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित कर उनको सड़क दुर्घटना के समय जीवन बचाने में हेलमेट पहनने के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताते हुये यातायात नियम, साइबर क्राइम, एटीएम फ्राड, फर्जी बैंक के काल, बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंध में जानकारी दी गयी।

इस दौरान मा0 श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर(सदस्य विधान परिषद), मा0 श्री जयप्रकाश अनुरागी(जिला पंचायत अध्यक्ष), प्रभारी निरीक्षक पनवाड़ी, प्रभारी निरीक्षक यातायात,स्कूल के प्राचार्य व शिक्षकगण सहित स्कूली बच्चें मौजूद रहे।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.11.2022

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत थानाध्यक्ष खरेला श्री गणेश कुमार द्वारा गठित संयुक्त टीम उ0नि0 अजय पाल सिंह व उ0नि0 शिवकुमार द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त 1.गिरजाशंकर उर्फ गिरजानंदन पुत्र किशनी उम्र 45 वर्ष को सम्बन्धित मा0 न्यायालय द्वारा जारी केश नं. 155/15 धारा 457/380/411/120बी भा0द0वि0 से तथा अभियुक्त 2.हरी सिंह पुत्र बनवारी उम्र करीब 55 वर्ष को सम्बन्धित माननीय द्वारा जारी केश नं0 212/14 धारा 60(2) आबकारी अधि0 से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अजयपाल सिंह 2.उ0नि0 शिवकुमार यादव
3.का0 महेश प्रसाद थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.गिरजाशंकर उर्फ गिरजानंदन पुत्र किशनी उम्र 45 वर्ष ग्राम कुड़ार थाना खरेला महोबा
2.हरीसिंह पुत्र बनवारी उम्र करीब 55 वर्ष ग्राम जरौली थाना खरेला महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 14.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिररफ्तारी अभियान के तहत थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा गठित टीम उ.नि. रामचन्द्र द्वारा 01 नफर वारंटी बबलू यादव पुत्र राम दयाल उर्फ गोला उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नरेड़ी थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित केस नं0 443/2018 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रामचन्द्र थाना चरखारी जनपद महोबा

2. का0 सुयश दुबे थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

वारंटी बबलू यादव पुत्र राम दयाल उर्फ गोला उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नरेड़ी थाना चरखारी जनपद महोबा

थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने 01 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तार अभियान के अनुपालन जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व उसमें लिप्त तस्करों के विरूद्ध चलाए जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 मलखान सिंह द्वारा चेकिंग संदिग्ध/व्यक्ति के दौरान 01 नफर अभियुक्ता सुनीता बहरूपिया पत्नी इदवाल्या बहरूपिया उम्र करीब 40 वर्ष निवासी कलमाना स्टेशन के पीछे थाना कलमाना जनपद नागपुर महाराष्ट्र के कब्जे से एक थैला में 01 किलोग्राम व 50 ग्राम सूखा गाँजा नाजायज बरामद करते हुये रोडवेज बस स्टैण्ड महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 523/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

सुनीता बहरूपिया पत्नी इदवाल्या बहरूपिया उम्र करीब 40 वर्ष निवासी कलमाना स्टेशन के पीछे थाना कलमाना जनपद नागपुर महाराष्ट्र

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 मलखान सिंह चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2.कां0 कुबेर सिंह 3.कां0 शुभम सरोज 4.म0कां0 बबिता पाल

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 14.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिररफ्तारी अभियान के तहत थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित टीम उ.नि. रामकिशन यादव द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त मु.नं. 3225/21 अन्तर्गत धारा 354/323/504 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त रवि श्रीवास पुत्र हरनारायण श्रीवास उम्र करीब 34 वर्ष एवं मु. नं. 3294/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त हल्कू अहिरवार पुत्र देशराज अहिरवार उम्र करीब 54 वर्ष को धवर्रा मन्दिर व धवर्रा स्टेडियम से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. रामकिशन यादव चौकी प्रभारी धवर्रा थाना अजनर महोबा।
2. कां0 आशीष सरोज थाना अजनर महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रवि श्रीवास पुत्र हरनारायण श्रीवास उम्र करीब 34 वर्ष ग्राम धवर्रा थाना अजनर महोबा
2. हल्कू अहिरवार पुत्र देशराज अहिरवार उम्र करीब 54 वर्ष ग्राम धवर्रा थाना अजनर महोबा

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिररफ्तारी अभियान के तहत थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्रनाथ राय द्वारा गठित टीम उ.नि. देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह का0 योगेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम दुलारा से 01 नफर वारण्टी जगदेव पुत्र हरलाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0 नं0 296/2022 धारा 344 सीआरपीसी थाना महोबकंठ जनपद महोबा से सम्बन्धित मा0 न्यायालय एएसजे/एपपीएल जज पाक्सो महोबा मे वारण्टी था, जिसको गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. देवेन्द्र कुमार ओझा
2. का0 योगेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

जगदेव पुत्र हरलाल उम्र करीब 30 वर्ष ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ महोबा

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 14.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एंव शाति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **14.11.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में कानून एंव शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड,रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **255** वाहनो के ई-चालान किये गये ।

महोबा पुलिस